**अभियुक्त/आवेदक की ओर से समन करने वाले आदेश दिनांकित ................. को वापस लेने के लिए आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

परिवाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ परिवादी

बनाम

**कखग**  ......... अभियुक्त

**अभियुक्त/आवेदक की ओर से समन करने वाले आदेश दिनांकित ................. को वापस लेने के लिए आवेदन पत्र**

1. यह कि देखे आदेश दिनांकित ................. को : इस आदरणीय न्यायालय को धारा 138 पं. लि. अधिनियम 1881 के अधीन एक अभिकथित अपराध के लिए आवेदक को आदेशिका जारी करने के लिए प्रसन्न किया गया।
2. यह कि एक अभियुक्त के रूप में आवेदक को समन करने का कथित आदेश अन्य आदेशों के बीच निम्नलिखित पर विधि की दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है और वापस माँगा जाने योग्य है -

**आधार**

* 1. क्योंकि परिवाद चैक दिनांकित ............... के विवरण के बारे में परिवादी बैंक की सूचना /सलाह द्वारा पेश किये गये अभिलेख के अनुसार परिसीमा द्वारा वर्णन किया जाता है और धारा 138 प. लि. अधिनियम के अधीन नोटिस ................ से 15 दिनों के अन्दर दी जानी थी लेकिन अधिकथित नोटिस दिनांकित ................. होने से तात्पर्पित है और ................. को भेजी गयी जो इसको देखते ही धारा 138 प. लि. अधिनियम के अधीन उपबन्धित परिसीमा की विहित कालावधि के परे है और ऐसे रूप में, परिवादी एक मात्र आधार पर असक्षम एवम् खारिज किये जाने योग्य है।
  2. क्योंकि परिवाद का परिशीलन यह प्रदर्शित करेगा कि इस प्रकार चाहे जो कुछ भी इस बारे में कोई भी अभिकथन नहीं है जिस तारीख पर अभिकथित नोटिस दिनांकित अभिकथित तौर पर आवेदक को परिदत्त की गयीं और जब वाद हेतुक परिवाद को दाखिल करने के लिए पैदा हुआ तब इस अभाव में यह स्थापित विधि है कि धारा 138 प. लि. अधिनियम के अधीन एक परिवाद का पोषण करने के लिए वाद हेतुक़ पैदा होता है नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर माँगी गयी रकम का संदाय करने के लिए सम्बोधिती की असफलता पर पैदा होता है। इस मामले में स्वीकारणीय तौर पर किसी भी नोटिस की तामील आवेदक पर कभी नहीं करायी गयी।
  3. क्योंकि परिवादी को दो सम्बोधिती पर अभिकथित नोटिस को भेजा जाने का अभिकथन किया जाता है –
     1. ..................
     2. ..................

परिवादी ने किसी प्रकार ऊपर कथित पता सं0 पर सम्बोधित किया। एक लिफाफा दाखिल किया और जो "इन्कार कर दिया" दिनांकित ................ एक टिप्पणी को अन्तर्विष्ट करता है। यह अभिलिखित उपयुक्त है कि कथित लिफाफा किसी भी डाकघर का कोई भी डाक सम्बन्धी स्टाम्प नहीं अन्तर्विष्ट करता था जो यह प्रदर्शित करता है कि परिवाद के साथ दाखिल किया गया लिफाफा का छत्र साधन किया जाता है और डाकघर को भेजा गया लिफाफा परिवाद में दाखिल किये गये लिफाफे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और परिवादी मिथ्यापूर्ण साक्ष्य के एक अपराध का दोषी है जिसके लिए आवेदक के पास उससे सम्बन्धित धारा 340 द. प्र. सं. के अधीन एक आवेदनपत्र को दाखिल करने के अधिकार को आरक्षित करता है।

(घ). क्योंकि अभिकथित नोटिस दिनांकित .................) .................... पते पर तारीख ............... को भेजी गयी होने से तात्पर्यित है और तारीख.................... को इंकार कर दिया। किसी प्रकार परिवादी यह साबित करने हेतु डाक विभाग से किसी भी एक को परीक्षित नहीं किया है कि इसको सम्बोधिती द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। यह सादर निवेदन किया जाता है कि आवेदक............ उस पते पर नहीं निवास कर रहा है जिस पर अनेक दुकानें है और यह कारबार का आवेदक के स्थान का पूर्णपता नहीं है।

(ड) क्योंकि न परिवाद में और न ही परिवादी के कथन के बारे में प्रकथन किया गया है या कथन किया गया है कि .................. पते पर भेज दिया जाने वाली कही गयी अभिकथित नोटिस का क्या भाग्य था।

(च) क्योंकि आवेदक का भागीदार होने वाले परिवादी के साक्ष्य का नहीं है कि जिस प्राख्यान को उसी तथ्य मिथ्या साबित कर दिया जाता है कि अभिकथित चैंक स्वयं प्रदर्शित करता है कि आवेदक एक मात्र फर्म का स्वत्वधारी है और प्रश्नगत चैक इस प्रकार चाहे जो कुछ भी हो प्रतिफल के बगैर था। इसके संगत यह निवेदन किया जाता है कि परिवादी जो बारम्बार आवेदक को मिला करता था। एक ऐसी भेंट के दौरान जब आवेदक को धन की आवश्यकता पड़ी और बैंक के बन्द होने का समय करीब था तब आवेदक ने शीघ्रता से एक चैक पर हस्ताक्षर किया और इसको उस परिवादी को दे दिया जिसने बैंक जाकर उसी को भुनवाने का प्रस्ताव किया। परिवादी 15 मिनट के अन्दर वापस आया और आवेदक को .................. नकद सौंप दिया। अब यह प्रेरित करता है कि उसने उसके द्वारा भरी गयी रकम के ऊपर इसको भर करके बारम्बार तौर पर तथा बेइमानी पूर्वक चैक प्रतिधारित किया और बेइमानी का लाभ हेतु अब प्रस्तुत परिवाद दाखिलकिया है।

1. यह कि इस आदरणीय न्यायालय ने उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार बना समन करने वाला आदेश पारित कर दिया जो मामले की तह तक जाता है और इस र समन करने वाला आदेश विधिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है क्योंकि इसने प्रथम दृष्टया इस पर आन के लिए कोई कारण नहीं देता है कि धारा 138 प. लि. अधिनियम के अधीन एक अपराध स्थापित किया गया था।

**प्रार्थना**

अतएव, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय समन करने वाला आदेश दिनांकि ....... को वापस माँगने तथा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाहियों रोकने की कृपा करें।

इस माननीय न्यायालय को ऐसे अग्रिम आदेश /आदेशों को पारित करने की कृपा क जो मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर पूर्णतया न्याय कर सकें।

आवेदक/अभियुक्त

जरिये अधिवक्ता

स्थान :

तारीख :